

ENCLOSURE No. 2

Copy of ITM University Act and
Notification established under
Chhattisgarh

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्र./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.



छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 6 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)
अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बात्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2. अनुसूची का संशोधन. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सारल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सारल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई.टी.एम. विश्व-विद्यालय	आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक- 2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरखारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर सांईश इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी बायो-टेक्नालॉजी बायो-इंफॉर्मेटिक्स कला विज्ञान याधिष्य इंजीनियरिंग माइक्रोबायआलॉजी नैनोटेक्नालॉजी फार्मसी बीमा शारीरिक शिक्षा व्यवसाय प्रबंधन ह्यूमैनिटीज विधि शिक्षा विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान हॉटल मैनेजमेंट फैशन डिजाईनिंग



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- पत्रकारिता एवं जनसंचार
- प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम."

रागपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रल/छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 क खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2012)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Short title, extent
and commencement.

